FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0027 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/08/2022 14:00 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	109
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/08/2022 **Time (समय):** 13:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/08/2022 13:40 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 10 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): नगर निगम फरीदाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP Kailash chand

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 07/03/1979 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SVB FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SVB FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9971079337

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	महीपालसिह हालसीनीयरटाउन प्लानर			1. नगर निगम फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	श्रीमति रमेश देवी		Husband's Name: महीपाल सिह	1. unkown,FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में

प्रबन्धक अफसर,

थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,

फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक नं0 03 दिनांक 23.10.2017 फरीदाबाद महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 13046/आई-2/रा0चै0ब्यूरो(ह) दिनांक 24.10.2017 के अनुसार श्री जितेन्द्र सिंह दलाल निवासी मकान नं0 362 निकट ओशो प्रिन्टर्स खादु श्याम अपार्टमैन्ट के सामने कृष्णा कालोनी पलवल की शिकायत पर महीपाल सिंह, डिप्टी टाउन प्लानर, नगर निगम फरीदाबाद के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर की जाकर पडताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई थी, जिसमें निम्नलिखित आरोप की पडताल की जानी थी।

महीपाल सिंह, डिप्टी टाउन प्लानर, नगर निगम फरीदाबाद ने सरकारी पद पर रहकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अथाह काला धन जमा करते हुए मकान, फ्लैट, पैट्रोल पम्प, रियल इस्टेट व शादी सामारोह में भारी निवेष करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति बनाई हैः-

1. प्रतिवादी ने ग्राम डाढौता जिला पलवल में अपनी पत्नी रमेश देवी के नाम से 5 एकड जमीन करोडों रूपये में खरीद की हैं।
2. सोहना हाईवे ग्राम धतीर जिला पलवल में अपनी पत्नी रमेश देवी के नाम से करोडों रूपये की जमीन खरीद की हैं।
3. प्रतिवादी ने प्लाट नं0 1724 सैक्टर 16 फरीदाबाद पर नामचीन आरकिटैक्ट की मदद लेकर निर्माण पर करोडों खर्च किये हैं।
4. प्रतिवादी के पास हीवो अपार्टमैन्ट सैक्टर 16 फरीदाबाद में डिलैक्स फ्लैट बेस कीमती हैं।
5. प्रतिवादी ने अपने पुत्र नवीन को एक मंहगी फोरचूनर गाडी नं0 HR-51-BD-0060 दिलाई हुई हैं जो यह गाडी उनकी पुत्रवधु पूजा के नाम साल 2015 में नकद राशी देकर खरीदी हैं।
6. प्रतिवादी ने जनवरी 2014 में अपनी पत्नी रमेश देवी की फर्म राम सन्स एक्वा लिमिटेड के नाम से पैट्रोल पम्प के लिए अप्लाई किया था जिसके लिए प्रतिवादी ने जिला पलवल में बेशकीमती जमीन खरीदी हैं।
7. प्रतिवादी ने अजरौन्दा नीलम पुल सैक्टर 20 फरीदाबाद में कॉमर्षियल मार्किट में भारी निवेश किया हुआ हैं।
8. प्रतिवादी ने SRS ग्रुप के रियल इस्टेट में भारी निवेश किया हुआ हैं।
9. प्रतिवादी ने मानव रचना विश्विदयालय में निवेश किया हुआ हैं।
10. प्रतिवादी ने अपनी पुत्री नीरज कुमारी की शादी में लगभग 55 लाख रूपये नकद व एक करोड रूपये के हीरे व सोने के आभूषण दिये हैं जिसका ब्यौरा प्रतिवादी की पुत्री नीरज द्वारा मुकदमा नं0 871 दिनांक 17.12.16 थाना सैन्ट्रल सैक्टर 12 फरीदाबाद में स्त्रीधन व दहेज के सामान की 10 पेज की सूची के रूप में दी हुई हैं तथा प्रतिवादी की पुत्री ने पुलिस आयुक्त फरीदाबाद को डायरी नं0 1044 दिनांक 17.01.17 के पत्र के द्वारा शादी में करीब सवा करोड रूपये खर्च करना बताया हुआ हैं तथा इसके अलावा भी कही ओर भारी नामी बेनामी निवेश होने की प्रबल सम्भावना हैं।

पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि प्रतिवादी श्री महीपाल सिंह, डिप्टी टाउन प्लानर, नगर निगम फरीदाबाद हाल सीनियर टाउन प्लानर, नगर निगम फरीदाबाद दिनांक 05.07.1993 को नगर निगम में बतौर ड्राफ्टमैन नियुक्त हुआ था और अपनी नगर निगम फरीदाबाद में ही विभिन्न ब्रान्चों में तैनात रहा हैं, और अब दिनांक 12.09.19 को सीनियर टाउन प्लानर के पद पर पदौन्नत हुआ हैं, प्रतिवादी की माह जुलाई 1993 से माह अक्टूबर वर्ष 2017 से विभाग से कटौती काटने उपरान्त कुल 61,47,622/- रू0 बतौर वेतन प्राप्त किए हैं, जिसकी 40 प्रतिशत बचत मु0 24,59,048/- रू0 80 पैसे जायज आय बनती हैं।

प्रतिवादी द्वारा उसकी पत्नी रमेश देवी के नाम खरीदी गई सम्पति व किये गये खर्च का विवरणः-

1. प्रतिवादी की पत्नी रमेश देवी ने अपने नाम वसीका नं0 8020 दिनांक 27.01.14 के अनुसार बलवन्त डायरैक्टर रामसन्स एक्वा लि0 पुत्र रंगबहादुर 4/4 सिंहसभा रोड शक्ति नगर नई दिल्ली से मु0 21,00,000/- रूपये मय 63000/- रू0 स्टाम्प सहित कुल 21,63,000/- रूपये में 4 कनाल 4 मरला जमीन मौजा धतीर जिला पलवल में खरीद की हैं।
2. वसीका नं0 8021 दिनांक 27.01.14 के अनुसार बलवन्त पुत्र रंगबहादुर डायरैक्टर रामसन्स एक्वा लि0 4/4 सिंहसभा रोड शक्ति नगर नई दिल्ली ने रमेश देवी पुत्री मोहरपाल डागर निवासी खेडी कलां फरीदाबाद को 77,250/- रू0 स्टाम्प डियूटी के साथ मौजा धतीर जिला पलवल में 5 कनाल 3 मरला जमीन हिब्बा नामा (Gift deed) किया हैं, जिसकी बाजार भाव 25,75,000/- रूपये वसीका में दर्शाया हुआ हैं।
3. वसीका नं0 2145 दिनांक 10.05.10 के मुताबिक प्लाट नं0 1724 सैक्टर 16, फरीदाबाद रकबा 350 वर्गगज रमेश देवी ने श्रीमती सुदेश सिंघल पत्नी एच.वी0 सिंघल, निवासी 175 स्टेट बैंक नगर, पश्चिम विहार, न्यू देहली से मु0

29,44,000/- मय स्टाम्प डियूटी 1,47,200/- सहित कुल 30,91,200/- रूपये में खरीद किया हुआ हैं।

4. वसीका नं0 3915 दिनांक 10.06.09 के मुताबिक प्लाट नं0 43 मौजा नंगला गुजरान फरीदाबाद रकबा 135 वर्गगज सुरेश कुमार पुत्र दयाराम निवासी नंगला गुजरान फरीदाबाद से मु0 4,05,000/- मय स्टाम्प डियूटी 20,250/- सहित कुल 4,25,250/- रूपये में खरीद किया हुआ है।

5. वसीका नं0 9904 दिनांक 23.01.09 के अनुसार दर्शन कुमारी पत्नी महेन्द्र सिंह, निवासी आदर्श कालोनी पलवल से मु 0 60,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 1800/- कुल 61,800/- रूपये में 0 कनाल 3.5 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद, जिला पलवल में खरीद की हैं।

6. वसीका नं0 9905 दिनांक 23.01.09 के अनुसार धर्मबीर पुत्र कारे निवासी आदर्श कालोनी, पलवल से मु0 10,60,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 31,800/- कुल 10,91,800/- रूपये में 10 कनाल 12 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद जिला पलवल में खरीद की हैं।

7. वसीका नं0 9907 दिनांक 23.01.09 के अनुसार रमेश देवी ने किशन प्यारी पुत्री रामकिशन, निवासी आदर्श कालोनी, पलवल से मु0 90,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 2700/- कुल 92,700/- रूपये में 0 कनाल 6.5 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद, जिला पलवल में खरीद की हैं।

8. वसीका नं0 10865 दिनांक 02.03.09 के अनुसार किशन प्यारी पुत्री रामकिशन, निवासी आदर्श कालोनी, पलवल से कुल 7,40,000/- रूपये में 7 कनाल 8 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद, जिला पलवल में तित्ममा नामा से खरीद की हैं और मकान नं0 1724 सैक्टर 16 फरीदाबाद रकबा 350 वर्गगज को बनाने में भी लाखों रूपये खर्च किये हैं।

9. प्रतिवादी ने अपनी पत्नी रमेश देवी के नाम वसीका नं0 6406 दिनांक 02.02.98 के अनुसार हेतराम पुत्र डींगराम निवासी गांव टीकरी, जिला गुडगांव से मु0 4,00,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 50,000/- कुल 4,50,000/- रूपये में 21 कनाल 6 मरला जमीन मौजा डाढौता, जिला पलवल में खरीद की हैं तथा वसीका नं0 6709 दिनांक 06.03.98 के अनुसार रमेश देवी के नाम हेतराम पुत्र डींगराम, निवासी गांव टीकरी, जिला गुडगाव से मु0 3,22,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 40250/- कुल 3,62,250/- रूपये में 17 कनाल 4 मरला जमीन मौजा डाढौता, जिला पलवल में खरीद की हैं जिस पर प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी रमेश देवी के नाम से मौजा डाढौता, जिला पलवल में खरीदी गई कुल जमीन 38 कनाल 10 मरला पर कुल 8,12,250/- रूपये खर्च किये गये हैं जबकि प्रतिवादी की आय जायज स्त्रोतों से दिसम्बर 1998 तक मु0 1,08,338.80/- रूपये बनती हैं। अतः प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 1998 तक मु0 7,03,911/- रूपये आय से अधिक खर्चा करना पाया गया हैं।

10. प्रतिवादी ने अपने नाम हिवो से एक डिलैक्स फ्लैट नं0 12, सै0 16 ए0 फरीदाबाद रशीद नं0 002426 दिनांक 05.10.90 के मुताबिक अलाट हुआ था। जिसकी मु0 5,56,100/- तथा लिफ्ट कीमत 75,000/- कुल 6,31,100/- रूपये की अदायगी होने पर HUDA URBAN ESTATE TOWN COUNTRY PLANNING EMPLOYEES के क्रमांक नं0 HEWO/200/4438 दिनांक 02.02.2001 के अनुसार पोजीशन (कब्जा) दिया गया है। जबकि प्रतिवादी ने पहले ही वर्ष 1998 में अपनी पत्नी रमेश देवी के नाम से मौजा डाढौता में 38 कनाल 10 मरला जमीन की खरीद में आय से मु0 7,03,911/- रूपये अधिक खर्चा किया जा चुका था।

11. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 9904 दिनांक 23.01.09 के अनुसार 0 कनाल 3.5 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद, जिला पलवल में रमेश देवी ने दर्शन कुमारी पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी आदर्श कालोनी, पलवल से 60,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 1800/- कुल 61,800/- रूपये में खरीद पर खर्च किये जाने पाये गये है।

12. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 9905 दिनांक 23.01.09 के अनुसार 10 कनाल 12 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद जिला पलवल में रमेश देवी ने धर्मबीर पुत्र कारे निवासी आदर्श कालोनी, पलवल से 10,60,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 31,800/- कुल 10,91,800/- रूपये में खरीद पर खर्च किये जाने पाये गये है।

13. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 9907 दिनांक 23.01.09 के अनुसार 0 कनाल 6.5 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद जिला पलवल में रमेश देवी ने किशन प्यारी पुत्री रामकिशन निवासी आदर्श कालोनी पलवल से 90,000/- रूपये मय स्टाम्प डियुटी 2700/- कुल 92,700/-रूपये में खरीद पर खर्च किये जाने पाये गये है।

14. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 10865 दिनांक 02.03.09 के अनुसार 7 कनाल 8 मरला जमीन मौजा हौशगांबाद जिला पलवल में रमेश देवी ने किशन प्यारी पुत्री रामकिशन निवासी आदर्श कालोनी, पलवल से 7,40,000/- रूपये में खरीद पर खर्च किये जाने पाये गये है।

15. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 3915 दिनांक 10.06.09 के मुताबिक प्लाट नं0 43 मौजा

नंगला गुजरान, फरीदाबाद रकबा 135 वर्गगज प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा सुरेश कुमार पुत्र दयाराम निवासी नंगला गुजरान, फरीदाबाद से 4,05,000/- मय स्टाम्प डियूटी 20,250/- सहित कुल 4,25,250/- रूपये में खरीद पर खर्च किये जाने पाये गये है।

16. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 2145 दिनांक 10.05.10 के मुताबिक प्लाट नं0 1724, सैक्टर 16 फरीदाबाद रकबा 350 वर्गगज रमेश देवी ने श्रीमती सुदेश सिंघल पत्नी एच.वी0 सिंघल निवासी 175 स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार, न्यू देहली से मु0 29,44,000/- मय स्टाम्प डियूटी 1,47,200/- सहित कुल 30,91,200/- रूपये में खरीद पर खर्च किये जाने पाये गये है।

17. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 8020 दिनांक 27.01.14 के अनुसार 4 कनाल 4 मरला जमीन मौजा धतीर जिला पलवल में रमेश देवी ने बलवन्त डायरैक्टर रामसन्स एक्वा लि0 पुत्र रंगबहादुर 4/4 सिंहसभा रोड शक्ति नगर नई दिल्ली से 21,00,000/- रूपये मय 63000/- रू0 स्टाम्प सहित कुल 21,63,000/-रूपये में खरीद पर खर्च किये जाने पाये गये है।

18. प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती रमेश देवी द्वारा वसीका नं0 8021 दिनांक 27.01.14 के अनुसार 5 कनाल 3 मरला जमीन मौजा धतीर जिला पलवल में रमेश देवी ने बलवन्त डायरैक्टर रामसन्स एक्वा लि0 पुत्र रंगबहादुर 4/4 सिंहसभा रोड शक्ति नगर नई दिल्ली से 77,250/- रू0 स्टाम्प डियूटी स्टाम्प सहित कुल 77,250 रूपये में हिब्बा नामा (GIFT DEED) पर खर्च किये जाने पाये गये है ।

प्रतिवादी की आय व खर्च का विवरणः-

अतः प्रतिवादी की दिनांक 05.07.1993 से 31.10.2017 तक जायज स्त्रातों से आय 1,08,338. 80 92,624 6,31,768.80 1,48,504.80 14,77,812.40 24,59,048.80 बनती है और प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा दिनांक 05.07.1993 से 31.10.2017 तक कुल खर्च 8,12,250 6,31,100 4,25,250 61,800 10,91,800 92,700 7,40,000 30,91,200 21,63,000 77,250 91,86,350 रूपये बनता है जो प्रतिवादी द्वारा उक्त अवधि में अपनी आय से 67,27,301.20 अधिक खर्चा करना पाया गया हैं।

अतः प्रतिवादी महीपाल सिंह ने अक्तूबर 2017 तक अपनी सरकारी नौकरी के दौरान अपनी आय के जायज स्त्रातों के अलावा 67,27,301.20/- की अधिक सम्पत्ति नाजायज आय के स्त्रोतों से एकत्रित करनी पाई गई हैं। अतः प्रतिवादी महीपाल सिंह, डिप्टी टाउन प्लानर, नगर निगम, फरीदाबाद हाल सीनियर टाउन प्लानर, नगर निगम फरीदाबाद व उसकी पत्नी श्रीमती रमेश देवी के खिलाफ जुर्म धारा 13 (1) ई0, R/W 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम व 109 भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था।

प्रतिवादी ने अपने कथन में अंकित किया हैं कि वह नगर निगम में तैनाती से पहले कुछ समय हुडा विभाग में बतौर ट्रेज़्रार (TREASURER) नियुक्त था, जिस बारे प्रतिवादी ने अपनी उक्त अवधि की सैलरी बारे कोई रिकार्ड उपलब्ध नही कराया हैं। जिसे अनुसन्धान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया जाता हैं, और प्रतिवादी की पत्नी रमेश देवी के द्वारा खरीदी गई चल व अचल सम्पत्ति बारे भी अनुसन्धान के दौरान गहराई से देख लिये जाने का सुझाव दिया जाता हैं, क्योकि प्रतिवादी द्वारा जांच के दौरान कोई भी सहयोग नही किया गया हैं और करीब दो साल पहले जांच अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सम्पत्ति घोषणा फार्म देने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा सम्पत्ति घोषणा फार्म भरकर नही दिया गया हैं। जिस बारे कार्यवाही फाईल के पेज नं0 75 पर लगा देखा जा सकता हैं। जिस बारे प्रतिवादी ने सम्पत्ति घोषणा फार्म ना भरने बारे अपने ब्यान में भी लिखकर तहरीर कराया हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त (टी0) नगर निगम, फरीदाबाद के कार्यालय के क्रमांक नं 255 दिनांक 26.11.19 तथा क्रमांक नं0 06 दिनांक 10.01.18 के मुताबिक विष्णु शाँपिग काम्पलैक्स, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद में मुताबिक नगर निगम के रिकार्ड में वर्ष 1999 से ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकान नं0 2 रकबा 40 वर्गगज दर्ज हैं। जिसकी कीमत बारे कोई रिकार्ड नगर निगम में उपलब्ध नही है, और नाही प्रतिवादी द्वारा कोई रिकार्ड उपलब्ध कराया गया। जो उक्त दुकान भी प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी रमेश देवी के नाम से खरीद करनी पाई गई हैं तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवादी महीपाल सिंह ने अपने ब्यानों में अंकित कराया हैं, कि उसने अपनी बेटी नीरज की शादी में अपनी बचत से भी लाखों रूपये खर्च किये हैं जो प्रतिवादी की बेटी नीरज के द्वारा अपने पति व ससुराल पक्ष के विरूद्ध मु0 नं0 871/2016 धारा 498 भा0दं0सं0 थाना सैन्ट्रल सै0 12, फरीदाबाद में दिये अपने ब्यान व मुताबिक दहेज सूची अनुसार शादी में अनुमानित 1 करोड 25 लाख रूपये खर्च किये गये हैं। जिस बारे प्रलेख फाईल के पेज नं0 291 पर लगा देखा जा सकता हैं। जिन्हें भी अभियोग के अनुसन्धान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया हैं। प्रतिवादी की पत्नी M/s Ramsons HPCL PETROL PUMP में Director होने बारे भी प्रतिवादी महिपाल सिंह से

पूछा गया, परन्तु प्रतिवादी ने इस सन्दर्भ मे कुछ भी नही बताया है। अतः उक्त पट्रोल पम्प को भी अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

इसके अतिरिक्त एक शिकायत आपके कार्यालय के यादि क्रमांक 52/39/2017-2 चौकसी-II दिनांक 21.08.2020 की अनुपालना मे श्री जितेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह निवासी मकान न0 362, खाटु श्याम अपार्टमैन्ट के सामने, ओशोप्रिन्टर्स के सामने, कृष्णा कालोनी, पलवल द्वारा प्रतिवादी महिपाल सिंह डिप्टी टाउन प्लानर, नगर निगम फरीदाबाद के विरुद्व प्राप्त हुई है। जिसमे प्रतिवादी महिपाल सिंह की शौक्षणिक योग्यता तथा वर्ष 2016 में योजना विभाग के अधिकारियों द्वारा कंपनियों को बडी संख्या में CLU (CHANGE OF LAND USE) AND EDC (EXTERANL DEVELOPMENT CHARGES) तथा CONVERSIONFRRS से सम्बन्धित है, जिसे भी अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

प्रतिवादी महिपाल सिंह के मकान व दुकान की अस्समैन्ट के लिए कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चौकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला द्वारा अस्समैन्ट करने के लिए पत्राचार किया गया। जो कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला के पत्र क्रमांक 692/एस0ई0/रा0चै0ब्यू0(ह0) दिनांक 27.12.2021 के अनुसार प्रतिवादी के मकान एवं दुकान की अस्समैन्ट से सम्बन्धित प्रोफोर्मा दिनांक 28.12.2021 को प्रतिवादी महिपाल सिंह को दिया गया था तथा बताया गया कि दिनांक 03/04.01.2022 को श्री दीपक गोयल कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला प्रतिवादी मकान एवं दुकान की अस्समैन्ट के लिए कार्यालय मे आऐगे। जो दिनांक 04.01.2022 को श्री दीपक गोयल कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय मे हाजिर आऐ तथा प्रतिवादी को भी बुलाया गया। श्री दीपक गोयल, कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चैकसी ब्यूरो, मुख्यालय ने भी उक्त प्रोफोर्मा प्रतिवादी को भरने के लिए दिया गया। परन्तु प्रतिवादी महिपाल सिंह ने प्रोफोर्मा भरकर नही दिया गया। इसके अतिरिक्त यादि क्रमांक 76 दिनांक 12.01.2022 व 86 दिनांक 17.01.2022 के अनुसार नोटिस के माध्यम् से भी प्रतिवादी को उक्त प्रोफोर्मा भरकर देने का समय दिया गया था। परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रोफोर्मा अभी तक भरकर नही दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी महिपाल सिंह अपनी दुकान व मकान की अस्समैन्ट नही कराना चाहता। जिसे भी अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/39/2017-2 चैकसी-II दिनांक 12.07.2022 की अनुपालना मे महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृशठांकन क्रमांक 11506/आई-2/एस0वी0बी0 (ह0)दिनांक 19.07.2022 के अनुसार उपरोक्त जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझाव अनुसार उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध धारा 13(1)(C) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 109 भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज करने व तफतीश के दौरान नगर निगम फरीदाबाद के अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्पता पाई जाती है तो उसे अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने बारे आदेश प्राप्त हुये है।

प्रतिवादी महीपाल सिंह, डिप्टी टाउन प्लानर, नगर निगम, फरीदाबाद हाल सीनियर टाउन प्लानर, नगर निगम फरीदाबाद व उसकी पत्नी श्रीमती रमेश देवी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अकिंत किया जावे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जावे। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई0एच0सी0 उधम सिंह नं0 698/पलवल के अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे। स्पेशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। आमदा रिकार्ड साथ सलंग्रन है । Sd. Kailash Chand (कैलाश चन्द) ह0पु0से0,उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद Dt. 16.08.2022 At 1.00 PM अज थाना - हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नम्बर- 27 दिनांक 16.08.2022 U/S 13(1)(C) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 109 भा0द0स0 PC ACT PS SVB फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल EHC उधम सिह न0 698/पलवल के की जाकर सम्बन्धित अफसरान बाला वा ईलाका मजिस्ट्रैट की सेवा में भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर SVB फरी0 मे रखी गई है जो आगामी कार्यवाही हेतु INSP राजकुमार के हवाले की जाऐगी । नोट:- यह मुकदमा INSP राकेश कुमार की हाजरी में दर्ज किया गया है ।

13.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** RAJ KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 822GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.